OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE
(ORDERS BY THE ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE/ HQ-IV : DELHI)

NOTIFICATION

Dated 04/11/2026

No. 77646 /CB-V/PHQ: **PROMOTION:** - The following ASIs (Min.) whose names exist on the Promotion List (Min. Cadre) during the vacancy year-2026, are hereby promoted to officiate as Sub-Inspector (Min.) w.e.f. **01.11.2026** and placed on probation for a period of two years: -

S. No.	Name, Range No., PIS No. & Category	C.G. No.
1	Ashok Suman, 207/D (27970025 (SC)	P-04 1126-143-0001
2	Vimlesh Kumari, 239/D (28960324) (SC)	P-04 1126-143-0002
3.	Vimal Kumar, 106/D(27970090) (SC)	P-04 1126-143-0003
4	Jaswinder Singh, 262/D (27970026) (SC)	P-04 1126-143-0004
5	Sanjay Kumar, 273/D (27970062) (SC)	P-04 1126-143-0005
6	Mukesh Babu, 98/D (27970123)(SC)	P-04 1126-143-0006
7	Sushil Kumar, 30/D (28960376) (SC)	P-04 1126-143-0007

This notification is subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases as mentioned in DOPT's O.M. No. 36012/16/2019-Estt. (Res.), dated 12.04.2022.

(ARUN KUMAR SHARMA)
ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE:
HEADQUARTERS-IV: DELHI

No. 77647-77658 /CB-V/PHQ dated Delhi the 04/11/2026.

Copy for information and necessary action to the:-

1. DCsP/East, NW, P&L, Central, 1st Bn. & 5th Bn. DAP, Delhi/ New Delhi. The individuals may also be asked to opt for choosing the date of fixation of pay on promotion, if any, under rule FR-22 (I)(a)(I) and GOI's order No. 17 below FR-22, as per PHQ's endst. No. 14048-99/CR-II/PHQ dated 28.08.2008.
2. DCP/I.T. (PHQ), Delhi.
3. Inspr. Estt. (PHQ) with one spare copy for publication in Delhi Police Gazette.
4. ACs- 'R', Computer & T/P Cell CB/PHQ.
5. AC- VIII with seven (07) spare copies for placing the same in their Personal Files.

P.T.O.

कार्यालय पुलिस आयुक्त : दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. 011-23746100, **एक्सटेंशन** 69970

दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन हेतु
(अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV, दिल्ली के आदेशानुसार)

अधिसूचना

दिनांक: 04/11/26

सं. 77646 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय; पदोन्नति : - निम्नलिखित स.उ.नि. (लिपिकीय) जिनके नाम रिक्ति वर्ष-2026 के दौरान पदोन्नति सूची (लिपिकीय संवर्ग) में दर्ज हैं, को एतद्द्वारा दिनांक **01.11.2026** से कार्यकारी आधार पर उप-निरीक्षक (लिपिकीय) के पद पर पदोन्नत किया जाता है और दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है :-

क्रम सं.	नाम, रैंज नम्बर, पी.आई.एस. नम्बर एवं श्रेणी	**कम्प्यूटर जनित संख्या**
1.	अशोक सुमन, 207/D (27970025) (अन.जा.)	पी- ०५1126-143-०००1
2.	विमलेश कुमारी, 239/D (28960324) (अन.जा.)	पी- ०५1126-143-०००2
3.	विमल कुमार, 106/D (27970090) (अन.जा.)	पी- ०५1126-143-०००3
4.	जसविंदर सिंह, 262/D (27970026) (अन.जा.)	पी- ०५1126-143-०००4
5.	संजय कुमार, 273/D (27970062) (अन.जा.)	पी- ०५1126-143-०००5
6.	मुकेश बाबू, 98/D (27970123) (अन.जा.)	पी- ०५1126-143-०००6
7.	सुशील कुमार, 30/D (28960376) (अन.जा.)	पी- ०५1126-143-०००7

यह अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/16/2019-स्था. (आरक्षित), दिनांक 12.04.2022 में उल्लिखित जरनैल सिंह मामलों के समूह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन है।

(अरुण कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त:
मुख्यालय-IV, दिल्ली

सं. 77647-77658 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक 04/11/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस उपायुक्त/ पूर्वी जिला, उत्तर-पश्चिम जिला, प्रावधान एवं रसद विभाग,मध्य जिला, प्रथम बटालियन, पाँचवीं बटालियन, दिल्ली । दिल्ली पुलिस मुख्यालय की पृष्ठांकन सं. 14048-99/सीआर-II/पुलिस मुख्यालय, दिनांक 28.08.2008 के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को नियम एफआर-22 (I)(a)(1) और एफआर-22 के तहत भारत सरकार के आदेश सं. 17 के अंतर्गत, यदि कोई हो, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की तिथि चुनने का विकल्प देने के लिए भी कहा जा सकता है।
2. पुलिस उपायुक्त/आई.टी. (पुलिस मुख्यालय), दिल्ली।
3. निरीक्षक/स्थापना (पुलिस मुख्यालय) को दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन के लिए एक अतिरिक्त प्रति के साथ।
4. प्रभारी - 'आर, कंप्यूटर और टी/पी सेल, सीबी/ पुलिस मुख्यालय ।
5. प्रभारी – VIII को 07 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखने के लिए

P.T.O.